पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009-11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2009 ई0 (अग्रहायण 07, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

नवम्बर 09, 2009 ई0

सं0 एफ–9(16)/आर.जी./यूईआरसी/2009/1116—उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 (मुख्य विनियम) के साथ पठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के उप विनियम 5.2.3 में–

खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित होगा, यथा

"परन्तु यदि जिस प्रयोजन हेतु अधिकृत रूप से विद्युत संयोजन लिया गया हो, उसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु अनाधिकृत रूप से उपभोग किया जा रहा हो, ऐसा स्थापित होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी उस समस्त अवधि का जिस अवधि में विद्युत का अनाधिकृत उपभोग किया गया हो, आकलन बिल तैयार किए जाने के उद्देश्य से सही मीटर में रिकार्ड उपभोग की वास्तविक ऊर्जा का विवेचन करेगा एवं जहां यह अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती हो तो ऐसी दशा में इस प्रकार की अवधि निरीक्षण की तिथि के तत्काल पूर्व के 12 माहों की अवधि तक सीमित होगी। उपरोक्त ऊर्जा उपभोग, मापन प्रणाली सही होने की दशा में ही विचारणीय होगी अन्यथा ऊर्जा उपभोग की गणना मुख्य विनियम के परिशिष्ट X में दिए गए सूत्र के आधार पर होगी।"

आयोग के आदेश द्वारा,
पंकज प्रकाश,
सचिव।